प्रकरण संख्या UD-V 6/2021 हेमराज बनाम श्रीमती मांगीबाई

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.2022	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 19 जा. दी. पेश हुई। अपीलान्ट/प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने वक्त बहस निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2005 को अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रशन प्लीड कर देने से अपील गुण दोषों के बिना खारिज कर दी गयी, जो गलत है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपीलान्ट को हर पेशी पर आवश्यकता नहीं होने से आने हेतु मना कर रखा था तथा कहा था कि जब जरूरत होगी सूचना दे देंगे, किन्तु अपीलान्ट को बिना सूचना दिया अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रशन प्लीड कर दिया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपील खारिज कर दी, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट घासी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस अपीलान्ट संख्या 4 व 5 हैं, जिसे भी कोई सूचना नहीं दी गयी। दिनांक 12.07.2021 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि प्रकरण में क्या हुआ मुझे याद नहीं। इस पर अपीलान्ट ने अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो पता चला कि दिनांक 19.12.2005 को अपील नो इन्ट्रक्शन के आधार पर खारिज हो चुकी है। अपीलान्ट गरीब, अनपढ़ काश्तकार हैं तथा उन्हें अब जानकारी होते ही अपील पुनः नंबर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 19.12.2005 को उपस्थित नहीं होने पर्याप्त कारण है। जानकारी होते ही प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दिया है। रेस्पोन्डेन्ट प्रतापी लाऔलाद फोत हो चुकी है, जिसके कोई लड़का, लड़की या नजदीकी वारिस नहीं है। सरकार ही इसकी वारिस है जो रेकार्ड पर है। अतः अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में गुण दोषों के आधार पर निर्णय करने हेतु पुनः नंबर पर लिया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **2012 WLN (SC) Page 51, 2022 RRT Page 76, 1998 RBJ (SC) Page 668, 2009 RBJ (HC) Page 663** प्रस्तुत की। अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण उसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या UD-V 6/2021 हेमराज बनाम श्रीमती मांगीबाई

उन्हें इस बात का आश्वासन दे रखा था कि उनकी आवश्यकता नहीं है, जब भी आवश्यकता होगी सूचना दे देंगे, किन्तु उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें नो इन्ट्रक्शन प्लीड किये जाने की कोई सूचना नहीं दी इस कारण अपीलान्ट न्यायालय में नहीं आये। दिनांक 12.07.2005 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि प्रकरण में क्या हुआ मुझे याद नहीं। इस पर अपीलान्ट ने अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो पता चला कि दिनांक 19.12.2005 को अपील नो इन्ट्रक्शन के आधार पर खारिज हो चुकी है। अपीलान्ट गरीब, अनपढ़ काश्तकार हैं तथा उन्हें अब जानकारी होते ही अपील पुनः नंबर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। दिनांक 19.12.2005 को उपस्थित नहीं होने का पर्याप्त कारण है। जानकारी होते ही प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दिया है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील को पुनः नंबर पर लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2005 के आदेश के विरूद्ध दिनांक 26.07.2021 को प्रस्तुत किया गया है, जो 15 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं 15 वर्ष से भी अधिक देरी से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के लिए जो कारण बताया है वह न तो पर्याप्त कारण प्रतीत होता न ही उचित कारण। तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 19 जा. दी. बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है। वकील अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 19 जा.दी. बेरून मयाद होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:16 IST
Reason: SelfAttested